प्रपत्र – 'अ'

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र. 5028
द्वारा माननीय विधायक श्री कुवर सौरभ सिंह के प्रश्नांश (ख) एवं (ग) की जानकारी

जबलपुर संभाग के अंतर्गत वर्ष 2012–13 से स्वीकृत कार्यों की सूची।

क्र.	जिला	विधानसभा क्षेत्र	स्वीकृत कार्य का नाम	योजना का नाम	स्वीकृति की राशि रू. करोड़ में	निर्माण एजेंसी (फर्म / ठेकेदार का नाम)	कार्य पूर्ण/अपूर्ण /निर्माणाधीन	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				वर्ष 2012–13				
1	कटनी	मुडवारा / बहोरीबंद	दमोह कटनी मार्ग का निर्माण (लंबाई–119.20 कि.मी.)	बी.ओ.टी.	272.02	मे. बंसल पाथवेज प्रा.लि. महू इन्दौर	पूर्ण	मार्ग का 44 कि.मी. भाग जबलपुर संभाग के अंतर्गत है।
2	जबलपुर	सिहोरा	सिहोरा–मझगवां–सिलोडी मार्ग का निर्माण (लंबाई–39.85 कि.मी.)	बी.ओ.टी. (टोल + एन्यूटी)	92.65	मे. माधव सिहोरा–सीलोडी कारीडोर लि., अहमदाबाद	पूर्ण	–
				वर्ष 2013–14				
1				निरंक				
				वर्ष 2014–15				
1				निरंक				
				वर्ष 2015–16				
1	जबलपुर/दमोह /सागर	पाटन/ जबेरा /रेहली	पाटन–तेन्दुखेड़ा – रेहली मार्ग का निर्माण कि.मी. (लंबाई–86.60 कि.मी.)	बी.ओ.टी. (टोल + एन्यूटी)	219.62	मे. दिलीप बिल्डकॉन प्रा. लि. भोपाल	निर्माणाधीन	मार्ग का 9.0 कि.मी. भाग जबलपुर संभाग में आता है।
				वर्ष 2016–17				
				निरंक				

मुख्य अभियंता
म.प्र. सड़क विकास निगम
भोपाल

प्रपत्र – "बे"

विषय :–**BOT एवं ANNUITY के अंतर्गत होने वाले कार्यों के संबंध में।**

(तारांकित प्रश्न क्रमांक 5028 श्री कुँवर सौरभ सिंह)

क्र.	पत्र का विषय	पत्र क्र. एवं दिनाक	पत्र का संक्षिप्त विवरण	की गई कार्यवाही	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	बीओटी एवं बीओटी+एन्यूटी के अंतर्गत होने वाले कार्य में विभाग की सहमति से शासन की राशि को दुरूपयोग के सबंध में	1370 दि. 06.10.16	बी.ओ.टी. एव बी.ओ.टी. +एन्यूटी के अतर्गत हाने वाले कार्यों में विभाग की सहमति से शासन राशि के दुरूपयोग के सबंध मे योजनाओ में शासन द्वारा निम्न बिंदुओ के आधार पर रेट एव बोनस तक किया जाता है :– 1. कार्य के स्वीकृत हाने पर एवं पूर्ण होने पर एक निश्चित राशि तय होती है परतु विभाग के लागों के मिले होने से कार्य को प्रारभ करने की तारीख एव पूरी होने की तारीख मे परिवर्तन कर दिया जाता है ठेकेदार द्वारा अनुबध तारीख से वर्क ऑर्डर होने के बाद से सबधित ठेकेदार को विभाग द्वारा साइड हेण्ड ओव्हर दिखाई जाती है। जिससे 4–6 माह का कार्य हस्तातरण के पूर्व कर लिया जाता है और ठेकेदार कार्य को समय–सीमा के पूर्व अर्थात् 18 माह का कार्य 12 माह मे पूर्ण कर लेता है। जिससे एन्यूटी के बोनस के रूप मे राशि मिल जाती है, जिससे एन्यूटी के बोनस के रूप में राशि मिल जाती है, जिससे (जनता के पैसे) शासन का नुकसान होता है। 2. अधिकाश कार्य किसी एक विशेष कंपनी के द्वारा लिये गये है, जिससे कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। 3. जैसा कि नियम है कि 15 जून से 15 अक्टूबर तक डामल एवं सी.सी. के कार्य प्रतिबंधित रहते है जिससे कार्यों की गुणवत्ता बनी रहे, किन्तु ठेकेदार एव विभाग की सहमति से 3–4 माह में बे रोक–टोक के पूरे किये जाते हैं। फलस्वरूप इन 4 माह का भी फायदा बोनस के रूप में ठेकेदार को मिलता है। मेरे जिले में भी संबंधित कंपनी द्वारा स्लीमनाबाद से विलायतकला रोड का निर्माण कार्य सपन्न हो रहा है, जिसका मेरे पास वीडियोग्राफी एव अन्य प्रमाणित दस्तावेज/सबूत है कृपया आग्रह है कि उक्त सबध में नियमानुसार जाच करवाने का कष्ट करें जिससे कि शासन के पैसे का अपव्यय रोका जाकर सबंधित को दंडित किया जा सके।	माननीय विधायक महोदय के उक्त पत्र पर कार्यवाही करते हुये स्लीमानाबाद–विलायतकला मार्ग की गुणवत्ता नियत्रण हेतु जिम्मेवार अथॉरिटी इंजीनियर मेसर्स एल.एन. मालवीय इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लि. को इस कार्यालय द्वारा जाच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को लेख किया गया। जिसके उत्तर में अथॉरिटी इंजीनियर द्वारा उनके पत्र क्र. 88 दिनाक 17.11.16 द्वारा बिंदुवार जवाब निम्नानुसार दिया गया है :– 1. पत्र के प्रारूप पेरा में वर्णित तथ्यों से असहमत है एव अपॉइन्टेड डेट 26.08.15 के बाद ही कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त स्लीमनाबाद–विलायतकला मार्ग का कार्य बी.ओ.टी. एव बी.ओ.टी. +एन्यूटी के अंतर्गत नहीं किया जा रहा है। अतः शासन की राशि के दुरूपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता है। 2. कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक है। 3. वर्षा ऋतु में रोड निर्माण कार्य (डामरीकृत मार्ग या कांक्रीट मार्ग) पूर्णतः बंद किये जाने का कोई प्रावधान अनुबंध या स्पेशिफिकेशन में नहीं है। कार्य अथॉरिटी इंजीनियर की देख–रेख में अनुबंधानुसार निर्धारित मापदण्डानुसार करवाया गया है। अतः मा. विधायक श्री सौरभ सिंह जी के संदर्भित पत्र का जवाब मुख्य महाप्रबधक (प्रशा.) एमपीआरडीसी भोपाल की ओर अथॉरिटी इंजीनियर के अभिमत से सहमत होते हुये इस कार्यालय के पत्र क्र. 4037 दिनाक 31.01.17 के द्वारा प्रेषित कर दिया गया है। चाका–विजयराघवगढ–बरही मार्ग का उन्नयन कार्य ए.डी.बी. की परियोजना एम.पी.डी.सी.एस.पी. के अतर्गत किया जा रहा है।	—

संभागीय प्रबंधक
एमपीआरडीसी
जबलपुर